

(अधिग्रहण करने वाले बैंक / गैर-बैंक के पत्र शीर्ष पर प्रस्ताव प्रारूप)

क्षेत्रीय निदेशक

मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय

भारतीय रिजर्व बैंक

महोदया / प्रिय महोदया,

**भुगतान अवसंरचना विकास कोष (पीआईडीएफ) –**

**स्वीकृति उपकरणों की तैनाती के लिए परियोजना प्रस्ताव**

उपरोक्त विषय पर आरबीआई के परिपत्र संख्या / / 20 दिनांक ..... के संदर्भ में, हम पीआईडीएफ के तहत भौतिक स्वीकृति उपकरणों और ---- डिजिटल स्वीकृति उपकरणों को परिनियोजित करने के लिए एक योजना का प्रस्ताव करते हैं। गतिविधि, संचालन के क्षेत्र, कार्यान्वयन पद्धति, निगरानी तंत्र, आदि के विवरण को दर्शाने वाली योजना प्रस्ताव [परिशिष्ट-1](#) में दिया गया है।

2. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना को रिजर्व बैंक द्वारा उल्लिखित पीआईडीएफ योजना के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए लागू किया गया है।

3. हमने योजना के लिए रिजर्व बैंक या किसी अन्य संगठन की किसी अन्य योजना से सहायता नहीं मांगी है और न ही मांगेंगे।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता 1

नाम

पदनाम

पता तथा संपर्क सं.

संलग्न: उपर्युक्त

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता 2

नाम

पदनाम

पता और संपर्क सं.

**पीआईडीएफ के तहत स्वीकृति उपकरणों की परिनियोजन के लिए योजना प्रस्ताव**

**1. पृष्ठभूमि**

योजना क्षेत्र में मौजूदा भुगतान बुनियादी ढांचे की स्थिति, अधिग्रहण करने वाले बैंक / गैर-बैंक की तकनीकी स्थिति योजना को शुरू करने की आवश्यकता को दर्शाती है।

**2. परिनियोजन का दृष्टिकोण**

तिमाही चरणबद्ध तरीके से पहचाने गए अंतर को भरने के लिए दृष्टिकोण की योजना बनाई गई है।

**3. भौगोलिक क्षेत्र**

जिले/ब्लॉक/गांव के नाम जहां परिनियोजन की योजना है।

**4. कार्यान्वयन अवधि**

योजना को पूरा करने की कुल अवधि।

**5. पीआईडीएफ के तहत मांगी गई सहायता**

क्र. सं.	स्वीकृति उपकरण का प्रकार (भौतिक / डिजिटल)	टियर 1 और 2 केंद्रों (पीएम स्वानिधि योजना के लाभार्थी) के लिए इकाइयों की संख्या	टियर 3 और 4 केंद्रों के लिए इकाइयों की संख्या	टियर 5 और 6 केंद्रों के लिए इकाइयों की संख्या	टियर 3 से 6 केंद्रों (पीएम स्वानिधि योजना के लाभार्थी) के लिए इकाइयों की संख्या	पूर्वोत्तर राज्यों के लिए इकाइयों की संख्या	जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों के लिए इकाइयों की संख्या	इंफ्रास्ट्रक्चर लागत (₹)	इंफ्रास्ट्रक्चर परिसंचन लागत (₹)	कुल वित्तीय परिव्यय प्राप्त / प्राप्य इनपुट टैक्स क्रेडिट का आऊटले (₹)	सहायता के लिए योग्य राशि (₹)

**6. निगरानी**

योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए परिकल्पित निगरानी, मूल्यांकन और रिपोर्टिंग तंत्र।